139

संख्या 1248 /उन्तीस(2)11–2(60पे0)/2004

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यॉकी,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग

देहरादून दिनांक 23 अगस्त 2011

विषयः– वित्तीय वर्ष 2011–12 में केन्द्रपोषित योजनाओं पर देय सेन्टेज की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्या 531/उन्तीस/05–2(60पे0)/04 दिनांक 21.03.06 में दी गई व्यवस्थानुसार उत्तराखण्ड पेयजल ससांधन विकास एवं निर्माण निगम को केन्द्रपोषित योजनाओं के निर्माण पर दिनांक 01.04.05 से 12.5 प्रतिशत प्रभार (सेन्टेज चार्जेज) अनुमन्य किये जाने तथा पूर्ववर्ती वर्षो में दिनांक 09 नवम्बर 2000 से दिनांक 31.03.05 तक कम सेन्टेज भुगतान के कारण केन्द्रपोषित योजनाओं पर ऑकलित राशि जो योजनाओं की लागत से व्यावर्तन कर व्यय की गई है, के विनियमितीकरण की व्यवस्था अनुमन्य की गयी है, जिसके कम में शासनादेश संख्या 329/उन्तीस(2)/11–2(60पे0)/04 दिनांक 09.03.2011 द्वारा गत वित्तीय वर्ष 2010–11 में ₹ 900.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। तत्सम्बंधी आपके पत्र संख्या 630/नियोजन अनुभाग/ धनावंटन प्रस्ताव/12 दिनांक 07.04.2011 द्वारा सैन्टेज चार्जेज हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्य योजनान्तर्गत संगत मद की धनराशि ₹ 500.00 लाख (₹ पॉच करोड़ मात्र) के व्यय हेतु निम्न शर्तो के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है–

(1) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल कोषागार देहरादून में प्रस्तुत करके अपने पी0एल0ए0 में रखकर उसका आवश्यकतानुसार आहरण किया जायेगा। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर्स की संख्या व दिनांक की सूचना शासन को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृति से व्यय की गई धनराशि का विस्तृत ब्यौरा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र पूर्ण व्यय विवरण सहित शासन तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को चालू वित्तीय वर्ष की 31.12.11 तक अवश्य उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.12.2011 तक उपयोग करके वित्तीय/ भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा एवं जो धनराशि दिनांक 31.03.2012 तक अप्रयुक्त रहती है उसे शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

(4) उपरोक्त धनराशि का व्यय शासनादेश संख्या 531/उन्तीस/05/2(60पे0)/2004 दिनांक 31 मार्च, 2006 के अनुसार केन्द्रपोषित योजनाओं के निर्माण पर अनुमन्य की गई दर के सापेक्ष केन्द्रपोषित योजनाओं में ऑकलित धनराशि जो योजनाओं की योजनावार अनुमोदित लागत अथवा वास्तविक व्यय जो भी कम हो, के विरूद्ध कम सैन्टेज प्राप्त हुआ हो के विनियमितीकरण पर किया जायेगा।

कमश..2.

(5) केन्द्रपोषित योजनाओं पर भारत सरकार द्वारा तथा राज्य सरकार द्वारा देय सेन्टेज की सीमा किसी भी दशा में 12.5 प्रतिशत से अधिक अनुमन्य नहीं होगी। इससे अधिक सेन्टेज पर व्यय होने की दशा में विभागाध्यक्ष पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगे।

2– उपरोक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के अन्तर्गत अनुदान संख्या–13 के लेखा शीर्षक 2215–जलपूर्ति तथा सफाई–01–जलपूर्ति–आयोजनागत–102–ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम–07– केन्द्रपोषित योजनाओं पर देय विभागीय शुल्क का भुगतान (2215–01–101–07 से स्थानान्तरित)–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0– 45/XXVII(2)/2011 दिनांक 23 अगस्त, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(अरविन्द सिंह ह्यॉकी)
अपर सचिव

पृ0सं0 1258(1) /उन्तीस(2)/11–2(60पे0)/2004 तददिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून ।
2. आयुक्त गढ़वाल/कुमायू मण्डल ।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग–2/नियोजन/राज्य योजना आयोग/बजट सेल।
6. निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
7. निजी सचिव, प्रमुख सचिव पेयजल को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
8. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
9. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(गरिमा रौंकली)
उप सचिव